

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वनमण्डल दक्षिण बालाघाट के परिक्षेत्र कटंगी के पी.एफ. 793 के रकबा 8.1 हेक्टेयर वनभूमि में डोलोमाइट खनिज ओपन कास्ट पद्धति से उत्खनन हेतु मेसर्स ई एम के ई मिनरल्स को उपयोग पर देने की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि क्षेत्र की "वन्यप्राणी प्रबंधन योजना" किसी वन्यप्राणी विशेषज्ञ से तैयार करवायी जाकर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल से अनुमोदित करवायी जायेगी।
----	---	----	---

दिनांक: .05.2020

स्थान: भोपाल


31.5.21
(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)